तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
31-5-22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन करने बाद अवलोकन पत्रावली प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है संक्षेप में निर्णय निम्न प्रकार है.
	कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा सं. 300 ख.सं. 989 ख.सं. 991 किता 3 योग रकबा 3.63 हैक्टर वाके ग्राम गुढ़ाय में स्थित है उक्त विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो प्रार्थीगण के पूर्व खातेदार श्रीकिशन पुत्र देवा थे श्रीकिशन की मृत्यु के पश्चात पुत्र नन्दा पुत्र श्रीकिशन का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया नन्दा पुत्र श्रीकिशन लाऔलाद फौत हो गया नामान्तकरण सं. 318 दिनांक 15-12-2010 से खोला जाकर नन्दा के स्थान पर फर्जी पुत्री बनाकर मन्नीबाई पुत्री नन्दा का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जबकि पूर्व खातेदार श्रीकिशन के वैध वारिसान के क्रम में प्रार्थीगण है. अप्रार्थी सं. 1 मन्नीबाई अपने नाम का फायदा उठाकर उक्त विवादित आराजी को रहन बय करने पर आमादा है यदि अप्रार्थी सं. 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया तो राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त विवादित आराजी को रहन बय कर देगी जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षतिकारित होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा। और अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 को ता फैसला मूल वाद तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जावे।
	प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस उपरोक्त अभिवचनों को दोहराते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी सं. 1 को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हमारे द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी के पूर्व खातेदार की वैध उत्तराधिकारी की श्रेणी में आते है, एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विवादित आराजी को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः न्यायहित में अप्रार्थी सं. को पाबन्द किया जाना उचित समझते है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है, अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ता फैसला मूलवाद पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा सं. 300 रकबा 1.33 हैक्टर खसरा सं. 989 रकबा 0.43 हैक्टर खसरा सं. 991 रकबा 1.87 हैक्टर वाके ग्राम गुढाय तहसील इन्द्रगढ की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। (हस्ताक्षर) ... जिलेदार / तहसीलदार ... अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

पंक्ति ... [illegible] ... एक प्रति ... प्रेषित